बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पूर्वी कोशी तटबंध प्रमण्डल, चन्द्रायण।
Email Id-eechandrayan@gmail.com, Mob No. 7463889483

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना–01/2026–27

पत्रांक– 495 / चन्द्रायण दिनांक– 11.04.2026

कार्यपालक अभियंता पूर्वी कोशी तटबंध प्रमण्डल चन्द्रायण के अधीन अवर प्रमण्डल चंद्रायण एवं कोपरिया के लिए 01 अदद एवं अवर प्रमंडल भेलवा एवं राजनपुर के लिए 01(एक) अदद अवर प्रमण्डल पदाधिकारियों के उपयोग हेतु कटाव निरोधक कार्यो एवं बाढ संघर्षात्मक कार्यो के अनुश्रवण एवं निरीक्षण तथा उच्चाधिकारियों की बैठक में भाग लेने इत्यादि कार्य हेतु भाड़े पर दो (02) अदद वाहन बोलेरो/स्कार्पियो (चालक सहित) वित्तीय वर्ष–2026–27 के लिए NON A.C की आवश्यकता है। इच्छुक वाहन मालिकों/फार्म/आपूर्तिकर्त्ता से मुहरबंद लिफाफा में वाहन की आपूर्ति हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

1.	कोटेशन आमंत्रित करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम एवं पता	:	कार्यपालक अभियंता, कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमण्डल, चन्द्रायण।
2.	कोटेशन आमंत्रण की तिथि	:	11-04-2026
3.	कोटेशन जमा करने की अवधि	:	दिनांक–18.04.2026 को 10:00 बजे पूर्वाहन से 03.:00 बजे अपराह्न तक।
4.	कोटेशन प्राप्त करने का स्थान	:	कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमण्डल, चन्द्रायण।
5.	कोटेशन खोलने की तिथि, समय एवं स्थान	:	दिनांक– 21.04.2026 समय 3:30 बजे अपराह्न, कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमण्डल, चन्द्रायण।
6.	कार्य विवरण तथा नियम एवं शर्तें	:	अनुलग्नक के रूप में संलग्न।

11/04/26

कार्यपालक अभियंता
पूर्वी कोशी तटबंध प्रमण्डल,
चन्द्रायण।

कोटेशन पर वाहन रखने की शर्तें निम्नवत् है:–

1. भाड़े पर वाहन 22.04.2026 से 31.03.2026 तक लिया जायेगा। अवधि विस्तार की स्थिति में एकरारित दर पर ही वाहन को आगे के लिए रखा जायेगा। व्यवसायिक निबंधन वाले वाहनों को विशेष प्राथमिकता दी जायेगी।
2. सरकारी मानकों के अनुसार वाहन की Fitness वैधता होनी चाहिए एवं भौतिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए।
3. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसकी सभी प्रकार की मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी साप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फार्म/आपूर्तिकर्त्ता द्वारा ही किया जायेगा। चालक के वेतन का भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फार्म / आपूर्तिकर्त्ता द्वारा ही किया जायेगा।
4. सभी प्रकार के प्रावधानित करों एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
5. वाहन का कागजात, टैक्स, बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए। मालिक/फार्म/आपूर्तिकर्त्ता का जी०एस०टी० निबंधन, PAN, वैध आचरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फार्म/ आपूर्तिकर्त्ता का होगा।
8. वाहन के उपयोग के विरूद्ध किराया ईंधन रहित देय होगा।
9. वाहन के उपयोग के लिए लॉग बुक का संधारण वाहन मालिक की जबावदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगें।
10. वाहन का ईंधन रहित (चालक सहित) न्यूनतम दर के आधार पर कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
11. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि०मी० प्रति लिटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
12. वाहन का किराया जिला प्रशासन, सहरसा द्वारा प्रावधानित दर के आलोक में NON A.C वाहन हेतु निर्धारित दर एवं कोटेशनदाता से प्राप्त न्यूनतम दर में से जो कम हो, स्वीकार होगा तथा तदनुसार उसी दर पर भुगतान हेतु विभाग से आवंटन प्राप्त होने के पश्चात किया जायेगा।
13. बाढ़ अवधि एवं कटाव निरोधक कार्य की अवधि में वाहन का उपयोग दिन एवं रात दोनों समय में किया जाता है। अतः इस अवधि में दो चालक उपलब्ध कराना होगा।
14. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/ वाहन आपूर्तिकर्त्ता निजी अथवा अन्य व्यवसायिक कार्यों में नहीं करेंगें।
15. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारीयों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फार्म/ आपूर्तिकर्त्ता का दायित्व होगा कि वे तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे। साथ ही, नियमित चालक की अनुपस्थिति में दूसरे वैकल्पिक चालक को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी भी वाहन मालिक/फार्म/ आपूर्तिकर्त्ता का ही होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाड़े का भुगतान में से दोगुने दर से कटौती कर ली जायेगी।
16. इच्छुक वाहन मालिक/फर्म/ आपूर्तिकर्त्ता उक्त कमांक 01 से 15 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ–पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं कमांक 05 एवं 06 संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति काटेशन के साथ समर्पित करेंगें।

17. एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर कोटेशनदाताओं के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक / फर्म / आपूर्तिकर्त्ता का चयन किया जायेगा।

18. शपथ–पत्र एवं वाँछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।

19. विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के सूचना पट्ट एवं वेबसाईट www.wrd.nic.in पर देखा जा सकता है।

ह0 / –
कार्यपालक अभियंता
पूर्वी कोशी तटबंध प्रमण्डल,
चन्द्रायण।

पत्रांक :– / चन्द्रायण, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, सहरसा / कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमण्डल, कोपरिया / सूपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
कार्यपालक अभियंता
पूर्वी कोशी तटबंध प्रमण्डल,
चन्द्रायण।

पत्रांक :– / चन्द्रायण, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध अंचल, सहरसा को सूचनार्थ समर्पित।

ह0 / –
कार्यपालक अभियंता
पूर्वी कोशी तटबंध प्रमण्डल,
चन्द्रायण।

पत्रांक :– / चन्द्रायण, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर को सूचनार्थ समर्पित।

ह0 / –
कार्यपालक अभियंता
पूर्वी कोशी तटबंध प्रमण्डल,
चन्द्रायण।

पत्रांक:– 495 / चंद्रायण , दिनांक:–11.04.2026

प्रतिलिपि:– जन–सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित, अनुरोध है कि निविदा का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट पर करने की कृपा की जाय।

11/04/26
कार्यपालक अभियंता
पूर्वी कोशी तटबंध प्रमण्डल,
चन्द्रायण।